न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू–रा0/2017/4526

1–मु0 रतीबाई वेवा रामेश्वर बेड़िया

2–श्यामबाई पुत्री बेनी बेड़िया

निवासीगंण ग्राम पुंछी तहसील जतारा

जिला टीकमगढ़

........आवेदकगंण

विरूद्व

1–रामप्रसाद तनय गोपील चढार

2–गनेशा तनय हल्काईया अहिरवार

निवासीगंण ग्राम पुंछी तहसील जतारा

जिला टीकमगढ़ म0प्र0

3–मध्यप्रदेश शासन

.........अनावेदकगंण

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.04.2004 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्र0क0 113/निग/2003–04 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।</u>

माननीय महोदय,

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u> :–

1– यह कि, ग्राम पुंछी तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि का बंटन तहसीलदार जतारा के रा0प्र0क0 13/अ/19/(1)/01–02 में आदेश दिनांक 29.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–एक / निगरानी / टीकमगढ़ / भू.रा. / 2017 / 4526

मुस. रतीबाई व अन्य विरूद्ध रामप्रसाद आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एवं अनावेदक की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर टीकमगढ़, जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 113 / निगरानी / 2003–04 में पारित आदेश दिनांक 19–04–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 08–05–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 11-3.19 (आर0के0 जैन) सदस्य	